पत्र संख्या–एन/गृ0वि0आं0–02–02/2015–201/

(226)

बिहार सरकार

गृह (विशेष) विभाग।

प्रेषक,

उमाशंकर राम,
सरकार के उप सचिव।

फैक्स संवाद

ई–मेल

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

निबंधित

पटना, दिनांक– 26/04/2016

विभागीय बेवसाईट में अपलोड

विषयः– स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन प्राप्त कर रहे जीवित पेंशनधारी/ आश्रिता पेंशनधारियों की जिलावार सूची नाम/पता/पी0पी0ओ0 संख्या सहित की अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–521 दिनांक–03.09.13, पत्रांक–580 दिनांक–26.09.13, पत्रांक–639 दिनांक–20.10.14, पत्रांक–695 दिनांक–20.11.14, पत्रांक–758 दिनांक–03.01.15, पत्रांक–21 दिनांक–21.01.15, पत्रांक–193 दिनांक–06.05.15, पत्रांक–271 दिनांक–19.06.15, पत्रांक–339 दिनांक–07.08.2015 एवं पत्रांक–572 दिनांक–10.12.15.

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्रों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्यान्तर्गत जीवित स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रित पेंशनधारियों की सूची गत वर्ष 2015 में 23 जिलों से ही प्राप्त हुई है। गत वर्ष 2013 से, प्रासंगिक पत्रों द्वारा स्मारित किये जाने के बावजूद शेष 15 जिलों यथा दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, छपरा, सिवान, गया, औरंगाबाद, खगड़िया, जमुई, सहरसा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली एवं नालंदा से सूची अब तक अप्राप्त है। प्रत्येक वर्ष पेंशनधारियों का अद्यतन सूची विभाग को अप्राप्त रहने की स्थिति में जिलों को आवश्यकता से अधिक राशि का आवंटन दिया जाता है। गत वित्तीय वर्ष में भी कुल आवंटित राशि का शतप्रतिशत व्यय नहीं किया जा सका एवं अत्यधिक राशि जिलों द्वारा विभाग को प्रत्यार्पित कर दिया गया है। जिलों के द्वारा अत्याधिक मात्रा में राशि प्रत्यार्पित किये जाने के कारण वित्त विभाग द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए स्वतंत्रता सेनानी/आश्रितों के सम्मान पेंशन भुगतान हेतु बजट शीर्ष 2235, मांग सं0–22 के अन्तर्गत उपबंधित राशि में कटौती कर ली गयी है।

विदित हो कि विषयांकित मामले में बिहार विधान सभा के प्राक्कलन समिति द्वारा विभाग के विभिन्न योजनाओं के लिए उपबंधित राशि का विचलन एवं प्रत्यार्पण का औचित्य के लिए सम्परीक्षण बैठक किया जाना है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मद में राज्य सरकार द्वारा दी जा रही राशि का आकलन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश प्राप्त हुआ है, परन्तु सभी जिलों से स्वतंत्रता सेनानी पेंशधारियों की अद्यतन सूची अप्राप्त रहने के कारण विधान सभा प्राक्कलन समिति को प्रतिवेदन नहीं भेजा जा सका है।

साथ ही, मो0 नेमातुल्लाह, स0वि0स0 द्वारा सदन में अतारांकित प्रश्न पूछा गया है, जिसमें वर्तमान में राज्यान्तर्गत स्वतंत्रता सेनानी/आश्रिता पेंशनधारियों की कुल संख्या कितनी है तथा वर्ष 1990 में राज्यान्तर्गत पेंशनधारी स्वतंत्रता सेनानियों की कुल संख्या कितनी थी, पर उत्तर की मांग की गयी है, जिसका उत्तर दिनांक–05.05.2016 तक बिहार विधान सभा को भेजा जाना है।

प्रधान सचिव महोदय द्वारा भी उक्त के संबंध में निदेश दिया गया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में स्वतंत्रता सेनानी/आश्रिता पेंशनधारियों की अद्यतन सूची संख्या सभी जिलों से अविलम्ब प्राप्त की जाय। तत्पश्चात् जिन जिलों से सूची प्राप्त होती है, उन जिलों को ही आवंटन दिया जाय, शेष जिलों का तत्काल आवंटन रोक दिया जाय।

अतः अनुरोध है कि अपने–अपने जिलों में जीवित स्वतंत्रता सेनानी/आश्रिता पेंशनधारियों की अद्यतन सूची विशेष दूत के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपलब्ध करायी जाए, ताकि बिहार विधान सभा प्राक्कलन समिति को प्रतिवेदन/मो0 नेमातुल्लाह, स0वि0स0 द्वारा सदन में पूछे गये अतारांकित प्रश्न का उत्तर भेजा जा सके एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में पेंशनधारी स्वतंत्रता सेनानियों/ आश्रितों के अद्यतन सूची के आधार पर सभी जिलों को पेंशन मद राशि का आवंटन दिया जा सके।

विश्वासभाजन,

26.04.16

सरकार के उप सचिव।